

ता. ख.  
म.

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
प्रकरण संख्या : 160 / 2023  
रास्ता प्रकरण

2023/725

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

28/8/23

तहसीलदार झुंझुनू द्वारा "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023" कैम्प मुकाम कासिमपुरा में कदीमी प्रचलित रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ते का प्रस्ताव मय ग्राम पंचायत अन्नापत्ति प्रमाण पत्र पेश था। पटवार मण्डल के राजस्व ग्राम कासिमपुरा से माली ग्राम जाने वाला प्रचलित रास्ता भूमि खं.न. 598, 594, 591, 585, 265, 566, 564, 588 में स्थित है जो कि सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, अन्नापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मय रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट पेश की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद अवलोकन रास्ता प्रस्ताव पर तहसीलदार झुंझुनू को सुना गया। रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ता मौके पर चालू पाया गया तथा मुताबिक रिपोर्ट मौके पर डामरीकृत सड़क बनी हुई है। तहसीलदार झुंझुनू के अनुसार उक्त प्रचलित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने पर किसी पक्षकार के हक हिस्सों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि पक्षकारों के मध्य आपसी विवाद नहीं होने की संभावना होती है। राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(2)रा-6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3 (17) राज-6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की रोशनी में न्यायालय मत पर जनहित व विधिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत कदीमी रास्तों को रिकॉर्ड में लाने का स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

—: आदेश :-

उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र (रास्ता प्रस्ताव) स्वीकार जाकर तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरुद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करें। रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड़ रहा है वह गै0 मु0 रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार झुंझुनू को प्रेषित की जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
झुंझुनू (राज.)